संख्या– 91 /XXXVI(1)/2017-202/2014

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

डाक प्राप्ति संख्या 1693/म०
दिनांक 13-6-2017
21-6-2017

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 12 जून, 2017

विषय– उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण के अधीनस्थ जिला हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर के ए0डी0आर0 केन्द्रों में सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार के एक–एक पद (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) भरें जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–26/XXXVI(1)/2016-202/2014 दिनांक 09.03.2016 तथा शासनादेश सं0–331/XXXVI(1)/2016-202/2014 दिनांक 06.07.2016 के क्रम में अपने पत्र सं0–838/III-C/उ0रा0वि0से0प्रा0/2016 दिनांक 16.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 09.03.2016 के द्वारा मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ जिला हरिद्वार एवं ऊंधमसिंहनगर के ए0डी0आर0 केन्द्रों हेतु सफाई कर्मचारी/चौकीदार के कार्य हेतु आउटसोर्सिंग के पृथक–पृथक पद सृजित न करते हुए जनपदवार एक–एक ही पद कुल 02 पद सृजित किये गये थे। इन पदों की वर्तमान में पृथक–पृथक आवश्यकता के दृष्टिगत जिला हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर के ए0डी0आर0 केन्द्रों हेतु सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार के 02 अतिरिक्त अस्थाई पदों (01 हरिद्वार एवं 01 ऊधमसिंहनगर) का सृजन करते हुए इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक नियोजित किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस प्रकार जिला हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर हेतु सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार के पृथक–पृथक पद हो जायेंगे।

4– उक्त पर होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–00" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–240/XXVII(7)/2017 दिनांक 06.06.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– /XXXVI(1)/2017-202/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर।
5. वित्त अनुभाग–7/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

c:\users\lenovo\documents\bhagwan folder yr 2017\slsa matters 2017\slsa letters2017.docx